रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 21, 1994/आश्विन 29, 1916
No. 167] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 21, 1994/ASVINA 29, 1916

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1994

विषय :—उन देशों को परिधान और निटवियर की कुछ मदों के निर्यात के लिए वर्ष 1994–96 की अवधि के लिए लागू होने वाली शर्तें जहां ऐसे निर्यात द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत आते हैं।

सं. 1/64/94—ई पी (टी. एंड जे.)-I.—उपर्युक्त विषय पर दिनांक 4 सितंबर, 1993 की अधिसूचना संख्या 1/29/93— ई पी (टी एंड जे)-I जिसे बाद में दिनांक 23 दिसंबर, 1993, 27 दिसंबर, 1993 तथा दिनांक 24 जून, 1994 की अधिसूचना के द्वारा संशोधित किया गया था, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह निर्णय लिया गया है कि अधिसूचना में निम्नोक्तानुसार और संशोधन किया जाए :—

2. अधिसूचना के पैरा 4(i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"पैरा 4(i) प्रत्येक आबंटन वर्ष में निर्यात की मात्राओं को प्रत्येक के सामने दिखाई गई विभिन्न पद्धतियों के अंतर्गत आबंटित किया जाएगा ।

| पद्धति | वार्षिक स्तर का प्रतिशत |
|---|---|
| (क) विगत निर्यात हकदारी (पी पी ई) | 60 |
| (जिसमें से उच्च मूल्य हकदारी) | (10) |
| (ख) विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम ई ई) | 20 |
| (जिसमें से नव निर्यातकों के लिए एम ई ई) | (2) |
| (ग) गैर कोटा निर्यातक हकदार (एन क्यू ई) | 20 |
| (हथकरघा वस्त्रों के लिए एन क्यू ई) | (2) |
| कुल | 100 |

3. पैरा 5(v) पैरा 9 (i) पैरा 14 (i) तथा पैरा 16(क) में आने वाले "30 सितंबर" शब्दों को "31 अगस्त शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

4. पैरा 5(iv)(क) तथा (ख) में आने वाले "20 सितंबर" शब्दों को "20 अगस्त" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

5. विद्यमान पैरा 6 (iv) से लेकर 6(vi) तक के स्थान पर निम्नलिखित नए पैरे रखे जाएंगे ।

(iv) विनिर्माता निर्यातक हकदारी पद्धति के अंतर्गत आबंटन के लिए पात्र निर्यातकों को या तो "विद्यमान विनिर्माता निर्यातक" अथवा "नव विनिर्माता निर्यातक" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। विद्यमान विनिर्माता निर्यातक वे हैं जो निम्नलिखित 2 मानदंडों में से 1 मानदंड को पूरा करता हो ।

(क) आबंटन वर्ष से पूर्व के वर्ष के लिए सभी देशों तथा श्रेणियों को मिलाकर 10,000 अददों से कम की विगत निर्यात हकदारी नहीं ।

(ख) आबंटन वर्ष से पूर्व के वर्ष के दौरान एम ई ई के अंतर्गत कोटा का आबंटन ।

विद्यमान विनिर्माता निर्यातकों के लिए वार्षिक स्तर का 18% का आबंटन किया जाएगा तथा नव विनिर्माता निर्यातकों के लिए वार्षिक स्तर का 2% आबंटन किया जाएगा ।

(v) सभी देशों/श्रेणियों के लिए उपलब्ध मात्राओं को वस्त्र आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित पात्र आवेदकों की उत्पादन क्षमता के आधार पर अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद् के महानिदेशक यथानुपात के आधार पर सैद्धांतिक वितरण करेंगे । प्रत्येक विनिर्माता निर्यातकों को ऐसे सैद्धांतिक आबंटनों का वितरण निम्न तरीके से किया जाएगा :—

(क) आबंटन वर्ष से पूर्व के वर्षों के दौरान सभी देशों/श्रेणियों के लिए विगत निर्यात हकदारी 10,000 अदद से कम नहीं होने के कारण जो विनिर्माता निर्यातक "विद्यमान विनिर्माता निर्यातकों" की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, के मामले में ऐसे सैद्धांतिक आबंटन उन श्रेणियों के बीच वितरित किए जाएंगे जिनमें आवेदकों के पास ऐसी श्रेणियों के लिए आबंटन वर्ष के पूर्व के वर्षों के दौरान विगत निर्यात हकदारी 1000 अदद या उससे अधिक रही हो । यह आबंटन ऐसी श्रेणियों के लिए उनकी पी पी ई की संपत्ति के अनुपात में किया जाएगा ।

(ख) ऐसे विनिर्माता निर्यातक जो आबंटन वर्ष से पूर्व के वर्ष के दौरान एम ई ई के अंतर्गत आबंटन प्राप्त करने के कारण "विद्यमान विनिर्माता निर्यातकों" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं (परन्तु आबंटन वर्ष के पूर्व के वर्ष में जिनकी पी पी ई की संपत्ति आबंटन वर्ष से पूर्व के वर्ष में 10,000 अददों से कम रही हो । उनको विभिन्न देशों/श्रेणियों में आबंटन वर्ष से पूर्व वर्ष के दौरान उनकी एम ई ई की संपत्ति के अनुपात के आबंटन किए जाएंगे ।

(ग) "नव विनिर्माता निर्यातकों" जिनके लिए वार्षिक स्तर का 2% का आबंटन किया जाएगा, उनके लिए आबंटन आवेदकों द्वारा चुने जाने वाले पांच देशों/श्रेणियों में उत्पादन क्षमता के आधार पर यथानुपात किया जाएगा । जिन देशों/श्रेणियों में यथा वितरित मात्राएं उपलब्ध एम ई ई स्तर को पार कर जाती हैं उनमें अलग-अलग निर्यातकों को आबंटन अनुपात के आधार पर कम कर दिया जाएगा ताकि कुल आबंटन को एम ई ई के स्तर तक नियंत्रित किया जा सके ।

(vi) जब यह देखा जाए कि किसी देश/श्रेणी के लिए एक या अधिक विनिर्माता निर्यातकों को आबंटित मात्रा बहुत ही कम है (वस्त्र आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित) तक अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् के महानिदेशक इन मात्राओं को इस ढंग से पुनर्आबंटित करेगा कि प्रत्येक आवेदक को आबंटित मात्रा पर्याप्त हो ।

6. पैरा 7(ii) में विद्यमान उपबंधों में निम्नलिखित वाक्य जोड़े जाएंगे :—

"तथापि, प्रणाली के अंतर्गत पात्रता निर्धारण के प्रयोजन के लिए अधिसूचित प्रमुख देशों को निर्यात का दुगुना महत्व दिया जाएगा ।"

7. पैरा 7(iii) में "पांच" के रूप में आने वाले शब्द को "दस" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

8. पैरा 16(ङ) में "01 अक्तूबर" शब्दों को "01 सितम्बर" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

9. उपर्युक्त संशोधन 1 जनवरी, 1995 से आरंभ होने वाले कोटा वर्ष से प्रभावी होंगे ।

10 दिनांक 4 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या 1/29/93-ई पी (टी एंड जे)-I तथा तदंतर दिनांक 23; 27 दिसम्बर, 1993 तथा 24 जून, 1994 के संशोधनों की अन्य शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी ।

एम. नारायणन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF TEXTILES
## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 1994

Subject :—Conditions applicable for the period 1994—96 for exports in respect of Garments and Knitwear to countries where such exports are covered under the Bilateral Agreements.

No 1.|64|94-EP (T&J) I.—Attention is invited to Notification No. 1|29|93-EP (T&J)-I dated the 4th September, 1993 which was amended subsequently by Notifications number 1|29|93-EP (T&J)-I dated the 23rd December, 1993, 27th December, 1993 and 24th June, 1994 on the above

mentioned subject. It has been decided to further amend the Notification as follows :—

2. Para 4(i) of the Notification shall be substituted by the following :

"Para 4(i) : Quantities for export in each allotment year shall be allocated under different systems as indicated against each of them below :—

| Sysem | Percentage of Annual Level |
|---|---|
| (a) Past Performance Entitlement (PPE) | 60 |
| (of which High Value Entitlement) | (10) |
| (b) Manufacturer Exporters Entitlement (MEE) | 20 |
| (of which MEE for new manufacturer exporters) | (2) |
| (c) Non Quota Exporters Entitlement (NQE) | 20 |
| (of which NQE for handloom garments) | (2) |
| Total | 100 |

3. The words "30th September" appearing in Para 5 (v) : Para 9(i) ; Para 14(i) and Para 16(a) shall be substituted by the words "31st August".

4. The words "20th September" appearing in Para 5 (iv) (a) and (b) shall be substituted by the words "20th August".

5. Existing paragraph 6(iv) to 6(vi) will be replaced by the following new paragraphs :—

"(iv) Exporters eligible for allotment under Manufacturer Exporters Entitlement System will be classified either as "Existing Manufacturer Exporters" or as "New Manufacturer Exporters". Existing Manufacturer Exporters are those who fulfil at least one of the following two criteria :—

(a) Past Performance Entitlement of not less than 10,000 pcs for all country|categories taken together for the year preceding the allotment year.

(b) Allocation of quota under MEE during the year preceding the allotment year.

For Existing Manufacturer Exporters, 18 per cent of the annual level will be allotted and for New Manufacturer Exporters, 2 per cent of the annual level will be allotted.

(v) Available quantities for all country|categories will be notionally distributed by the Director General, Apparel Export Promotion Council, pro-rata, on the basis of production capacity of eligible applicants as decided by the Textile Commissioner. Such notional allotments to individual manufacturer exporters will be distributed in the following manner :

(a) In the case of manufacturer exporters who come under the category of "Existing Manufacturer Exporters" by virtue of their having Past Performance Entitlement of not less than 10,000 pcs for all country|categories taken together during the year preceding the allotment year, such notional allotments will be distributed among the categories in which the applicants have Past Performance Entitlement of 1000 pcs or more during the year preceding the allotment year in proportion to their PPE holding for such categories.

(b) In the case of manufacturer exporters who come under the definition of "Existing Manufacturer Exporters" by virtue of their having had allocation under MEE during the year preceding the allotment year, (but whose PPE holdings in the year preceding the allotment year were less than 10,000 pieces), allotments will be made in proportion to their MEE holding in various country|categories during the year preceding the allotment year.

(c) For "New Manufacturer Exporters" for whom 2 per cent of the annual level will be allotted, the allotment will be done on prorata basis of production capacity in 5 country|categories to be opted by the applicants.

In country|categories where the quantities so distributed exceed the MEE level available, the allotments to individual exporters will be scaled down proportionately in order to restrict the total allotments to the MEE level.

(vi) When it is observed that quantity allotted to one or more of Manufacturer Exporters for a country|category is too small (as decided by Textile Commissioner) the Director General, Apparel Export Promotion Council may reallocate these quantities in such a manner that the quantity allotted to each of the applicants is reasonable enough."

6. The following sentence shall be added to the existing provision in Para 7 (ii) :—

"However, exports to notified thrust countries will be given double weightage for the purpose of determining entitlement under the system."

7. The word appearing as "Five" in Para 7(iii) will be substituted by "Ten".

8. The words "1st October" in Para 16 (e) will be substituted by "1st September".

9. The above amendments will take effect from the quota year commencing on 1st January, 1995.

10. All the other terms and conditions of the Notification No. 1|29|93-EP|(T&J)-I dated 4th September, 1993 and subsequently amended on 23rd, 27th December, 1993 and 24th June, 1994 remain unchanged.

S. NARAYANAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1994

विषय :—उन देशों को यार्न, फैब्रिक और मेड-अप्स की कुछ मदों के निर्यात के लिए वर्ष 1994—96 की अवधि के लिए लागू होने वाली शर्तें जहां ऐसे निर्यात द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत आते हैं।

स.-1/65/94-ई पी (टी एंड जे) I.—उपर्युक्त विषय पर दिनांक 4 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या 1/4/93-ई पी (टी एंड जे)-I जिसे बाद में दिनांक 24 जून, 1994 की अधिसूचना सं. 1/4/93-ई पी (टी एंड जे)-I के द्वारा संशोधित किया गया था, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह निर्णय लिया गया है कि अधिसूचना में निम्नीवतानुसार और संशोधन किया जाए :—

2. पैरा 5(iii) में आने वाले शब्दों "30 सितम्बर" को "31 मई" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।

3. पैरा 5(v) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-पैरा (vi) जोड़ा जाए :

"(vi) पी.पी.टी. को निम्नलिखित पैरा 10(1) के उपबंधों की शर्त पर 30 सितम्बर के बाद 31 दिसम्बर तक बढ़ाया जा सकेगा।"

4. पैरा 8(vi) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप पैरा (vii) जोड़ा जाए :

"(vii) पी.पी.टी पर लागू सभी आवश्यक परिवर्तन सहित एन.क्यू.टी. पर भी लागू होंगी।"

5. उपर्युक्त संशोधन 1 जनवरी, 1995 से प्रारम्भ होने वाले कोटा वर्ष से प्रभावी होंगे।

6. 4 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या 1/4/93-ई पी (टी एंड जे)-I तथा दिनांक 24-6-94 को तदनन्तर संशोधित अधिनियम की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी।

एस. नारायणन, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 1994

Subject : Conditions applicable for the period 1994—96 for exports of certain Yarn, Fabrics and Made-up items to countries where such exports are covered under the Bilateral Agreements.

No. 1|65|94-EP(T&J)I.—Attention is invited to Notification No. 1|4|93-EP(T&J)-I dated the 4th September, 1993 which was amended subsequently vide Notification No. I|4|93-EP(T&J)-I dated 24th June, 1994 on the above mentioned subject. It has been decided to further amend the Notification as follows :

2. The words "30th September" appearing in para 5(iii) be substituted by the words "31st May".

3. The following new sub-para (vi) after the para 5(v) shall be added :

"(vi) PPT can be extended beyond 30th September upto 31st December, subject to the provisions of para 10 (i) below."

4. The following new sub-para (vii) after the para 8(vi) shall be added :

"(vii) All conditions applicable to PPT shall also be applicable to NQT, mutatis-mutandis.".

5. The above amendments will take effect from the quota year commencing on 1st January, 1995.

6. All other terms and conditions of the Notification No. 1|4|93-EP(T&J)-I dated the 4th September, 1993 and subsequently amended on 24th June, 1994 remain unchanged.

S. NARAYANAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994